संख्या- 4/2019/125/33-1-2019-175एम.एस./2016टी.सी.

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-**निदेशक,**
पंचायती राज,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2-**समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।

3-**समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-1 **लखनऊ: दिनाँक: 31 जनवरी, 2019**

विषय:-ग्राम पंचायतों द्वारा यात्रा एवं आनुषंगिक व्यय आदि की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 तथा उसके अधीन विनिर्मित नियमावलियों में उपलब्ध प्रावधानों के अनुपालन में ग्राम पंचायत द्वारा समय-समय पर बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा ग्राम प्रधान द्वारा यथा आवश्यकतानुसार यात्राएं की जाती हैं। इसके अतिरिक्त पंचायतों द्वारा अन्य आनुषंगिक व्यय इत्यादि भी किये जाते हैं। इस हेतु शासन के पत्र संख्या-3/2016/3038/33-1-2016-175एम.एस./2016, दिनाँक 22.11.2016 द्वारा यह धनराशि रू0-5000/-से बढ़ाकर रू0-15000/- की गई थी। अत: इस सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त ग्राम-निधि में जमा धनराशि, जिसमें राज्य वित्त आयोग के संस्तुतियों के आधार पर संक्रमित धनराशि भी शामिल है, से निम्नलिखित मदों में वित्तीय वर्ष में व्यय की गई धनराशि को प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया गया है:-

क्र.सं.	मद	वर्तमान व्यवस्था	प्रस्तावित व्यवस्था
		धनराशि की सीमा रू0 (वार्षिक)	
1.	ग्राम पंचायत की बैठक का आयोजन	प्रति बैठक रू0 60/- की सीमा तक कुल वार्षिक व्यय 12X60=720	प्रति बैठक रू0 180/- की सीमा तक कुल वार्षिक व्यय 12X180=2160
2.	ग्राम सभा की बैठकों	प्रति बैठक रू0 300 की	प्रति बैठक रू0-900/- की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

	का आयोजन	सीमा 4X300=1200	सीमा 4X900=3600
3.	प्रधान द्वारा कार्यहित में की गयी यात्राओं पर व्यय	रू0 2500 की वार्षिक सीमा तक	रू0 7500 की वार्षिक सीमा तक
4.	अन्य आनुषंगिक व्यय	रू0 580 की वार्षिक सीमा तक	रू0 1740 की वार्षिक सीमा तक
कुल योग**-**		रू**0-5000/-**	रू**0-15,000/-**

उपरोक्तानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मदों पर अधिकतम रू0-15000/- प्रतिवर्ष की सीमा तक किये गये व्ययों की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।

इस सम्बन्ध में यह भी निर्देशित किया जाता है कि उल्लिखित व्यय की सीमा अधिकतम है। प्रत्येक ग्राम प्रधान का यह कर्तव्य होगा कि वह सुनिश्चित करें कि उक्त मदों पर न्यूनतम आवश्यक धनराशि का ही व्यय किया जाये।

भवदीय,

(**महेन्द्र कुमार**)
सचिव।

<u>संख्या:-4/2019/125(1)/33-1-2019-तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
3- प्रमुख सचिव, वित्त/ग्राम्य विकास/बेसिक शिक्षा/राजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उत्तर प्रदेश।
7- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**जोगेन्द्र प्रसाद**)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in